न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 25/2018

सुखविन्द्रकौर पत्नी गुरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी 25 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थी

बनाम

1. कश्मीरसिंह पुत्र गुरमुखसिंह जाति जटसिख निवासी 25 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. सतनामसिंह पुत्र गुरमुखसिंह जाति जटसिख निवासी 25 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. कलवन्तकौर पत्नी सतनामसिंह जाति जटसिख निवासी 25 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व विजयनगर। —रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर दिनांक 22.01.2018

उपस्थितिः—

श्री एम.एल.बाना अभिभाषक अपीलार्थी

श्री हरजिन्द्रसिंह रान्धारी अभिभाषक रेस्पों. 1

श्री मानकचन्द सुथार अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 व 3

श्री वेदप्रकाश राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 22.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/ रेस्पों.संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 251 ए के तहत पेश कर चक 25 जीबी के मु.न. 21 प.न 165/417 के कि.न. 25, 16, 15 में दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया गया जिस पर सुनवाई करने

के पश्चात उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने दिनांक 29.01.2016 को चक 25 जीबी के मु.नं. 21 प.नं. 165/417 के कि.नं. 25, 16, 15 में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश होने पर दिनांक 01.03.2016 को अपील खारिज कर दी जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण/रेस्पो. सं. 2, 3 ने निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में पेश की जो दिनांक 15.06.2017 को स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2017 को पत्रावली पेशी में ली गई। सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 22.01.2018 को प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए मु.नं. 21 प.नं. 165/417 के कि. नं. 21 में रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो. सं. 2 ने अधी. न्यायालय में अपने जवाब में वैकल्पिक रास्ते बताए गये थे जिसमें कशमीर सिंह को यह विकल्प प्राप्त नहीं हो जाता कि बिना वैकल्पिक रास्ता बाबत कोई निवेदन किये रास्ता स्वीकृत करवा ले। अधी. न्यायालय द्वारा 251ए के तहत बने नियम 69 की पालना नहीं की है। अपीलांट का मु.नं. 21 में मात्र 1 बीघा ही रकबा है जिसमें आम रास्ता चालू है। उक्त किला में दूसरा रास्ता स्वीकृत करने से अपीलांट की भूमि कम हो जाएगी जिससे अपीलांट को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों की पालना में रास्ता स्वीकृत किया है। उक्त रास्त ही सबसे छोटा एवं सुगम रास्ता है। अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की पालना कर रास्ता स्वीकृत किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

22/5/18

सहायक अतिरिक्त कलेक्टर
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2016 को मु.नं. 21 के कि.नं. 25, 16, 15 में रास्ता स्वीकृत किया गया था जिसकी अपील इस न्यायालय में होने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2016 को अपील खारिज कर दी जिसके विरूद्ध सतनामसिंह व कलवंतकौर ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की जो दिनांक 15.06.2017 को स्वीकार कर प्रकरण अधी. न्यायालय को वैकल्पिक रास्ता के सम्बन्ध में सुझाव किये प्रस्ताव के आधार पर कि.नं. 20 व 21 के खातेदार को नोटिस जारी कर निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये, जिसपर अधी. न्यायालय ने सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधी. न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार की रिपोर्ट मंगवाई गई। उक्त रिपोर्ट अधी. न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं. 60 पर उपलब्ध है जिसमें यह अंकित है कि उक्त रास्ता प्रार्थी की भूमि के निकटतम है। प्रार्थी के रकबा में अन्य कोई रास्ता नहीं लगता। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अति आवश्यक है इसके अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना कर रास्ता स्वीकृत किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर